

**SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE  
CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1898**

In the court of . कुमारी प्रतिष्ठा अवस्थी जे.एम.एफ.सी गोहद भिण्ड

प्रकरण क्रमांक 368/2016

**Name and address of the complain** म0प्र0 शासन द्वारा पुलिस थाना गोहद जिला प्रशासन  
भिण्ड म0प्र0

**name, parentage, caste and address of accused-**

1. अजीमबक्स पुत्र अजीतवक्त मुसलमान उम्र 30 साल निवासी सदर बाजार गोहद
2. प्रतीक पुत्र किशोर कुमार गुप्ता उम्र 25 साल निवासी वार्ड क्र.14 गोहद
3. दीपक पुत्र ओमप्रकाश गुप्ता उम्र 40 साल निवासी वार्ड क्र.14 गोहद
4. आकाश पुत्र रामप्रकाश गुप्ता उम्र 20 साल निवासी पुराना बस स्टेण्ड गोहद
5. अब्दुल पुत्र मुन्ना खां उम्र 19 साल निवासी पुराना बस स्टेण्ड गोहद
6. पिन्दू पुत्र नक्कू श्रीवास उम्र 18 साल निवासी वार्ड क्र.11 गोहद
7. गोल्डी पुत्र मंजीत सरदार उम्र 18 साल निवासी सदर बाजार गोहद

**The offence complained of, and date of its alleged commission**

आपने दिनांक 17/11/16 को 21:30 बजे नगर पालिका के पीछे गोहद में ताश के पत्तों से रूपयों पैसों की हारजीत का दांव लगाकर जुआ खेला।

तुम्हारा उपरोक्त कृत्य धारा 13 सार्वजनिक द्यूत क्रीडा अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया। स्पष्ट करो अपराध स्वीकार है या विचारण चाहते हों।

**The plea of the accused and his examination [if any]--**  
आरोपी का अभिवाक--

The offence proved, if any in, case under clause (d), clause (e), clause (f) or clause (g), of sub-section (1) of section 260, the value of the property in respect of which the offence has been committed

## //निर्णय//

(आज दिनांक 25/11/16 को घोषित किया गया)

1. अभियुक्त/अभियुक्तगण को धारा 13 सार्वजनिक द्यूत क्रीडा अधिनियम के तहत अपराध विवरण समरी शीट पर तैयार कर पढ़कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त/अभियुक्तगण ने स्वेच्छयापूर्वक अपराध किया जाना स्वीकार किया।
2. अभियुक्त/अभियुक्तगण द्वारा की गयी स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति, बिना किसी डर, दवाब व भय के की गई है। अतएव उसके द्वारा की गयी स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार उसे/उन्हें उक्त धरा 13 सार्वजनिक द्यूत क्रीडा अधिनियम के अपराध का दोषी ठहराया जाता है एवं अभियुक्त/अभियुक्तगण को धारा 13 सार्वजनिक द्यूत क्रीडा अधिनियम के अंतर्गत रुपये 100-100/-के अर्थदंड से दंडित किया जाता है।
3. अर्थदंड अदा नहीं करने पर प्रत्येक को पांच पांच दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।
4. प्रकरण में जप्तशुदा एक ताश की गड्डी नष्ट हो। जप्तशुदा रुपये 1110/-रुपये राजसात किये जाते हैं। अपील अवधि पश्चात विधिवत कोषालय में जमा हो।

स्थान-गोहद

दिनांक- 25/11/16

निर्णय आज दिनांकित एवं

मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया

हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

सही/-

(प्रतिष्ठा अवस्थी)  
जेएमएफसी गोहद

सही/-

(प्रतिष्ठा अवस्थी)  
जेएमएफसी गोहद

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
सकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
सकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य